राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ. 55( )अभियां./सीई/डीएलबी/2018–19/बजट घोषणा/60166-364 दिनांक :06/07/18

1. आयुक्त
   नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा,
   अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।

2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।

विषय : मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2018–19 के पालना में नगरीय निकाय क्षेत्रों में Rajasthan Urban Infrastructure Renewal Project (RUIRP) Phase-II के अंतर्गत आधारभूत विकास कार्य करवाने बाबत।

प्रसंग : विभाग के पूर्व समसंख्यक पत्रांक 24057–248 दिनांक 28.03.2018 की निरन्तरता में।

———

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 के बजट में समस्त नगर पालिका क्षेत्रों में अंबेडकर भवनों के निर्माण, बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था, श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के विकास, सड़कों–नालियों की maintenance एवं renewal तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिये राशि रूपये 1000.00 करोड़ के प्रावधान की घोषणा की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में Rajasthan Urban Infrastructure Renewal Project-2018 (RUIRP Phase-II) के अन्तर्गत सड़क निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्य करवाये जाने हेतु निम्नानुसार बजट प्रावधान रखा गया है :–

1. **अम्बेडकर भवन निर्माण कार्य (रूपये 102.00 करोड)** :

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्रम सं.	नगर निकाय श्रेणी	नगर निकाय की संख्या	प्रत्येक भवन का निर्मित क्षेत्रफल लगभग (वर्गफीट)	प्रत्येक भवन के निर्माण की अनुमानित लागत राशि	प्रत्येक नगर निकाय को देय राशि	कुल आवंटित राशि
1.	नगर निगम	7	6000	0.96	0.96	6.72
2.	नगर परिषद	34	4200	0.67	0.67	22.78
3.	नगर पालिका	150	3000	0.48	0.48	72.00
		191		कुल योग		**101.50 (say 102.00)**

2. श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास कार्य (रूपये 55.00 करोड) :

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्रम सं.	नगर निकाय श्रेणी	संख्या	प्रत्येक नगर निकाय को देय राशि	कुल आवंटित राशि
1.	नगर निगम	7	0.50	3.50
2.	नगर परिषद	34	0.40	13.60
3.	नगर पालिका	150	0.25	37.50
			कुल योग	**54.60 (say 55.00)**

3. नगर पालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (रूपये 210.00 करोड) :

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्रम सं.	नगर निकाय श्रेणी	नगर निकाय की संख्या	प्रत्येक नगर निकाय में शौचालयों की संख्या			प्रत्येक यूनिट शौचालय की अनुमानित लागत	प्रत्येक नगर निकाय को देय राशि	कुल आवंटित राशि
			पुरूष व महिला	केवल महिला	कुल			
1.	नगर निगम	7	6	4	10	0.50	5.00	35.00
2.	नगर परिषद	34	3	2	5	0.50	2.50	85.00
3.	नगर पालिका	150	2	–	2	0.30	0.60	90.00
							कुल योग	**210.00**

4. सड़क–नाली की मरम्मत एवं पुनर्रूद्धार का कार्य (राशि रूपये 385.00 करोड़) :

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्रम सं.	नगर निकाय श्रेणी	नगर निकाय की सं.	प्रत्येक नगर निकाय को देय राशि	कुल राशि
1.	नगर निगम जयपुर	1	100.00	100.00
2.	नगर निगम, जोधपुर व कोटा	2	20.00	40.00
3.	अन्य नगर निगम	4	5.00	20.00
4.	नगर परिषदें	34	2.00	68.00
5.	नगर पालिका (द्वितीय श्रेणी)	13	1.50	19.50
6.	नगर पालिका (तृतीय श्रेणी)	58	1.00	58.00
7.	नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी)	79	1.00	79.00
			कुल योग	384.50 (say 385.00)

1. RUIRP Phase-II के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा करवाये जा रहे सड़क निर्माण/मरम्मत व उपरोक्तानुसार अन्य आधारभूत विकास कार्यो की सम्बन्धित नगर निकाय बोर्ड स्तर से सक्षम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
2. विभागीय Scheduled of Power के अंतर्गत नगर निकाय/सम्भाग स्तरीय तकनीकी अधिकारियों को निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु प्रदत्त शक्तियों से

अधिक राशि के कार्यो के लिये तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु निदेशालय स्तर पर निम्नानुसार **राज्य स्तरीय तकनीकी समिति** का गठन किया जाता है :–

1. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, सम्बन्धित सम्भाग	सदस्य
3. अधिशाषी अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
4. सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता, निदेशालय	सदस्य
5. अधीक्षण अभियन्ता, निदेशालय	सदस्य सचिव

उक्त समिति के निर्णयानुसार निर्माण/मरम्मत कार्यो की तकनीकी स्वीकृति जारी करने से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही निदेशालय स्तर पर की जावेगी।

3. RUIRP Phase-II के अन्तर्गत जिन सड़क निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्यो की तकनीकी स्वीकृति, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा जारी की गई है, उन कार्यो हेतु नगर निकायों के स्तर पर प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति व दरों के अनुमोदन तथा उक्त कार्यो की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार **निविदा/दर अनुमोदन समिति** का गठन किया जाता है :–

1. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय	सदस्य
3. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय	सदस्य
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, सम्बन्धित सम्भाग	सदस्य
5. अधिशाषी अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
6. अधीक्षण अभियन्ता, निदेशालय	सदस्य सचिव

निविदा में प्राप्त दरों की स्वीकृति के सम्बन्ध में नगर निकाय से सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता द्वारा औचित्यपूर्ण टिप्पणी सहित दर स्वीकृति के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिशंषा की जावेगी।

4. उक्त **निविदा/दर अनुमोदन समिति** द्वारा निविदा में प्राप्त दरों के अनुमोदन के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिशंषा करते हुये निविदा की स्वीकृति हेतु प्रकरण को सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जावेगा।

5. नगर निकायों द्वारा RUIRP Phase-II के अन्तर्गत करवाये जा रहे सड़क निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्यो के तकनीकी मापदण्ड़ानुसार निरीक्षण करने हेतु विभागीय आदेश सं. 39994–285 दिनांक 22.05.2018 के अनुसरण में नगर निकायों द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष (Third Party) द्वारा कार्यो का भौतिक रूप से निरीक्षण करने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जावे।

6. RUIRP Phase-II के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा सम्पादित किये जा रहे सड़क निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्यो का साईट पर सूचना पट्ट भी लगाया जावें, जिसमें निर्माण कार्य का सम्पूर्ण विवरण हो।

7. RUIRP Phase-II के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा करवाये जा रहे सड़क निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्यो का निरीक्षण समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार अधिशाषी अभियन्ता करेंगे। इस कार्य हेतु नगर निकाय में पदस्थापित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नियमित रूप से Supervision किया जावेगा। सड़क सुधार/मरम्मत कार्यो का समय–समय पर सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण एवं सुपरविजन किया जावेगा। सड़क मरम्मत का कार्य त्वरित रूप से हो तथा कार्य की गुणवत्ता का पूरा–पूरा ध्यान रखा जावे। निर्धारित मापदण्ड़ानुसार Quality Control Test हेतु सैम्पल लिये जावें। सड़क निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्यो की मात्रा एवं गुणवत्ता (Quantity & Quality) के लिये सम्बन्धित अभियन्ताओं के साथ–साथ सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।

8. सम्भाग मुख्यालय के नगर निगमों में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता अपने क्षेत्राधिकार/सम्भाग की नगर निकायों में RUIRP Phase-II के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा करवाये जा रहे सड़क निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्यो का सुपरविजन एवं मोनेटरिंग करते हुये इन कार्यो से सम्बन्धित समस्याओं का तत्काल समाधान भी करेंगे।

9. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) अपने क्षेत्राधिकार की नगर निकायों का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे एवं नगर निकाय क्षेत्रों के सड़क निर्माण/मरम्मत व अन्य आधारभूत विकास कार्यो की पाक्षिक निरीक्षण रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत करायेंगे।

Rajasthan Urban Infrastructure Renewal Project-2018 (RUIRP Phase-II) के अंतर्गत करवाये जाने वाले विकास कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता व व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ. 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018–19/बजट घोषणा/60365–685 दिनांक :06/07/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
7. जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान।
8. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम (सम्भाग प्रभारी), राजस्थान।
11. अधिशाषी अभियन्ता (जिला प्रभारी), सम्बन्धित नगर निगम/परिषद, समस्त राजस्थान।
12. प्रोग्रामर, आई.टी. सेल, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
13. सुरक्षित पत्रावली।

6/2/18

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता